

विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, “मेट्रो प्लाज़ा”, बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-06/18

श्री राजपाल पितांबर,
फ्लेट नम्बर 621, आनंद हेरिटेज,
बिचौली मर्दाना, इन्दौर (म0प्र0)

— आवेदक

कार्यपालन यंत्री (संचा./संधा.) संभाग,
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
इन्दौर (म.प्र.)

— अनावेदक

आदेश
(दिनांक 27.01.2020 को पारित)

01. श्री राजपाल पितांबर, फ्लेट नम्बर 621, आनंद हेरिटेज, बिचौली मर्दाना, इन्दौर ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र द्वारा उनके घरेलु विद्युत संयोजन (फ्लेट नम्बर 621, आनंद हेरिटेज, बिचौली मर्दाना, इन्दौर) क्रमांक के.जे. 71/32/1143144111 के प्रकरण में दिनांक 07.03.2018 को पारित आदेश प्रकरण क्रमांक W0401018 श्री राजपाल पितांबर विरुद्ध कार्यपालन यंत्री (संचा./संधा.) संभाग, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर के विरुद्ध लिखित अभ्यावेदन दिनांक – निरंक से अपील प्रस्तुत की है। जो इस कार्यालय में दिनांक 23.04.2018 को प्राप्त होकर प्रकरण क्रमांक एल00-06/2018 पर दर्ज की गई है।
02. आवेदक के लिखित अभ्यावेदन में प्रकरण के विवरण निम्नानुसार हैं :–

अभ्यावेदन की विषय वस्तु :-

उपभोक्ता ने ग्राम बिचौली मर्दाना स्थिति आनंद हैरिटेज बहुमंजिला भवन में फ्लैट नम्बर 621 क्रय कर माह मई 2016 में नवीन घरेलु विद्युत संयोग प्राप्त किया था । फ्लैट क्रय दिनांक से ही खाली है । विद्युत का उपयोग ही नहीं हुआ है । फोरम से निवेदन किया गया था कि –

- (1) खाली पड़े फ्लैट के मई 2016 से नवंबर 17 की अवधि में मीटर द्वारा दर्शाई गई अवास्तविक खपत के अत्यधिक राशि के बिल प्राप्त होने पर लगातार वितरण केन्द्र में शिकायत के बाद अततः जनवरी 17 में मीटर बदला गया । तब से आज तक माहवारी खपत निरंक है । वितरण केन्द्र द्वारा बिल अधिक आने की शिकायत का निराकरण नहीं किया गया । अततः फोरम से निवेदन किया गया था कि माह मई 16 से दिसंबर 16 तक की खपत को निरस्त किया जावे साथ ही माह जनवरी 17 से नवंबर 17 की अवधि में जोड़ी गई औसत खपत को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया था ।
- (2) जमा करवाए गए परीक्षण शुल्क रु0 250/- वापस किए जावे ।
- (3) मई 16 से नवंबर 17 तक विवादित बिलों पर लगा सरचार्ज निरस्त किया जावे ।

फोरम द्वारा अपने आदेश में एकमात्र माह दिसंबर 16 की खपत 2197 युनिट को अत्यधिक एवं अवास्तविक मानकर मीटर में दर्ज इस खपत को निरस्त कर यह आदेशित किया है कि पूर्व 3 माह की खपत की (जबकि विवादित अवधि मई 16 से दिसंबर 16 तक की है इन माहों में वास्तविक खपत फ्लैट खाली होने से निरंक है) औसत खपत के आधार पर माह दिसंबर 16 का बिल सुधारा जावे । जबकि उपभोक्ता द्वारा चाहा गया था कि मई 16 से लेकर दिसंबर 16 के बीच मीटर द्वारा खाली फ्लैट में दर्ज अवास्तविक खपत को निरस्त कर सभी बिल वास्तविक खपत के आधार पर संशोधित किए जावे ।

चूंकि मीटर, जो परीक्षण में सही पाया गया था फोरम में मीटर की कार्यप्रणाली को सही नहीं मानते हुए (मीटर की माल फंक्शनिंग को माना जाकर) दर्ज खपत को निरस्त किया । परीक्षण शुल्क रु0 250/- उपभोक्ता को लौटाया जाना वांछित था ।

फोरम का आदेश उपभोक्ता द्वारा वांछित बिन्दुओं मौन होकर स्पिकिंग नहीं है । नकारे गए बिन्दुओं पर फोरम का आदेश स्पिकिंग नहीं होकर एक तरफा, बिना जस्टिफिकेशन एवं बिना नियमों की व्याख्या के होकर पारदर्शी नहीं है :–

- (1) इस मीटर बाबत लगातार शिकायत करने के बाद अंततः जनवरी 17 में नया मीटर 002 रीडिंग पर लगाया गया जिसकी माह नवंबर तक रीडिंग 06 है । (अर्थात् 11 माह में केवल 4 युनिट खपत) (प्रमाण है कि विद्युत का उपयोग ही नहीं है ।)
- (2) फोरम द्वारा पुष्टि हेतु कि परिसर में प्रारंभ से विद्युत का उपयोग नहीं हुआ है । कार्यपालन यंत्री को निर्वेशित किया गया था कि पुष्टि करें, क्या वास्तव में उपभोक्ता का फ्लैट खाली है/ताला लगा हुआ है, बिजली का कोई उपयोग नहीं हुआ/हो रहा है । फ्लैट का भौतिक सत्यापन कर वास्तविकता की जानकारी अडोस/पडोस एवं चौकीदार से जानकारी लेकर रिपोर्ट देवें ।

अभ्यावेदन का विवरणः— फोरम को प्रस्तुत आवेदन एवं उपरोक्तानुसार कण्डिका 6 के अनुसार ।

(9) विद्युत लोकपाल से वांछित राहत का स्वरूप :—

कण्डिका 6 में उल्लेखित पैरा 1, 2 एवं 3 के अनुसार ।

(10) (कृपया यह दर्शाए जाने हेतु कि इस प्रकार हुई हानि, वितरण अनुज्ञाप्तिधारी की किसी कथित क्रिया, कृत अथवा अकृत, चूक के परिणाम स्वरूप हुआ है, बाबत लिखित प्रमाण, यदि कोई हो तो संलग्न करें।)

(11) संलग्न अभिलेखों की सूची (कृपया समस्त अभिलेखों की 3 प्रतियां संलग्न करें।)

1. फोरम को प्रेषित आवेदन मय सहपत्रों के ।

2. फोरम द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.03.2018

03. प्रकरण में प्रथम सुनवाई दिनांक 22.05.2018 को नियत की जाकर उभयपक्ष को नोटिस जारी किए गए। तत्कालीन समय नियमित विद्युत लोकपाल की नियुक्ति न होने के कारण प्रभारी विद्युत लोकपाल द्वारा नियमित विद्युत लोकपाल की पदस्थापना की प्रत्याशा में प्रकरण में सुनवाई न की जाकर सुनवाई आगे बढ़ाई जाती रही। अन्ततः माह अप्रैल 2019 में नियमित विद्युत लोकपाल के पदग्रहण करने के पश्चात प्रकरण की सुनवाई एक ही दिन नियत की गई थी। चूंकि इस दिनांक को समस्त लंबित प्रकरण की सुनवाई एक ही दिन नियत की गई थी जो कि व्यावहारिक दृष्टि से संभव नहीं था, अतः सभी प्रकरणों की सुनवाई पुनः ही पुनर्निर्धारित (Re-schedule) की गई और प्रकरण में प्रारंभिक सुनवाई दिनांक 26.04.2019 को आयोजित की गई।

04. सुनवाई दिनांक 26.04.2019 को आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ तथा अनावेदक की ओर से मो० मसूद खान (एम०एम० खान), जूनियर इंजीनियर उपस्थित हुए। अनावेदक प्रतिनिधि द्वारा कथन किया कि उन्हें प्रकरण की नस्ती पेशी दिनांक के एक दिन पूर्व ही प्राप्त हुई है, अतः प्रकरण की उन्हें समुचित जानकारी नहीं है, अतः सुनवाई को आगे बढ़ाया गया और अगली सुनवाई दिनांक 01.06.2019 को नियत की गई।

अपरिहार्य कारणों से दिनांक 27.05.2019 से 01.06.2019 तक की अवधि में सुनवाई हेतु नियत सभी प्रकरणों की सुनवाई का पुनर्निर्धारण किया गया। तदनुसार प्रकरण में अगली सुनवाई पुनः निर्धारित करते हुए दिनांक 29.06.2019 को नियत की गई।

05. दिनांक 29.06.2019 को आवेदक की ओर से श्री जे. जी. ठोबरे, सलाहकार एवं श्री मुरलीधर गोयल सलाहकार उपस्थित तथा अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अनावेदक

की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण में सुनवाई नहीं की जा सकी और प्रकरण में सुनवाई आगे बढ़ाते हुए दिनांक 26.07.2019 को नियत की गई ।

06. आयोजित सुनवाई दिनांक 26.07.2019 को आवेदक की ओर से श्री जे. जी. ठोबरे, सलाहकार एवं श्री मुरलीधर गोयल सलाहकार उपस्थित तथा अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

आवेदक प्रतिनिधि द्वारा प्रकरण में अपना लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जो निम्नानुसार है :—

1. खाली पड़े फ्लेट के पुराने मीटर में कनेक्शन दिनांक मई 2016 से दिसंबर 2016 तक 7 माहों में त्रुटिपूर्ण मीटर रीडिंग दर्शाई । पुराने मीटर जनवरी 2017 में बदलकर नया मीटर लगाने के बाद से सुनवाई दिनांक (जुलाई 2019) तक 0 खपत दर्शाई गई । फोरम ने क्या दिसंबर 16 में दर्ज खपत को त्रुटिपूर्ण मानते हुए पुनर्निर्धारण का आदेश जारी किया है । न्यायोचित होगा की नया मीटर जिसमें समान परिस्थिति में खपत दर्शाई है के आधार पर त्रुटिपूर्ण मीटर द्वारा (प्रारंभ से) दर्ज खपत का पुनर्निर्धारण किया जावे ।
2. प्रभारी अधिकारी को लगातार शिकायत के बाद उन्होंने उचित नहीं समझा कि त्रुटिपूर्ण मीटर में दर्ज खपत परिसर में संयोजित भार के अनुरूप सही है या नहीं । कहीं यह खपत पड़ोसी के द्वारा उपभोक्ता के मीटर से लूप करने के कारण तो दर्ज नहीं हुई है/आई है । खपत सही है यह दर्शाने हेतु भी जस्टिफिकेशन नहीं प्रस्तुत किया है जबकि उपभोक्ता ने प्रमाणित किया है कि फ्लेट खाली था और खाली है ।
3. जब आप दिसम्बर 16 की खपत 2195 को असामान्य मान रहे हैं तो माह अगस्त 16 की खपत 867 को क्यों सही मान रहे हैं उसी प्रकार अन्य माहों में दर्ज खपत 403, 350 एवं 309 को सही/न्यायोचित माने जाने का कारण भी नहीं दिखाया है । न कोई प्रमाण है ।
4. छठी मंजिल पर फ्लेट क्रय करने के बाद माह मई 16 में विद्युत संयोग प्राप्त किया । मल्टी के सभी फ्लेट्स के विद्युत संयोगों के मीटर ग्राउण्ड फ्लोर पर सीढ़ियों के नीचे बने कर्वड जंगले में ताला चाभी में है । पास ही चौकीदार का कमरा है । दुरस्थ होने के कारण पूर्ण मल्टी करीबन एक डेढ़ साल तक खाली रही । कोई फ्लेट मालिक/किराएदार नहीं रहने आया है । उपभोक्ता का फ्लेट छठी मंजिल पर है । फोरम के निर्देश पर तत्कालीन कनिष्ठ यंत्री द्वारा परिसर का निरीक्षण कर सुनवाई की दिनांक पर पुष्टि की गई थी कि पूरी मल्टी खाली है । कोई नहीं रहता है सिवाय चौकीदार के । वर्तमान में अर्थात् 3 साल बाद भी मल्टी में ग्राउण्ड फ्लोर पर मात्र दो परिवार रहते हैं ।
5. संयोग जारी होने पर मीटर द्वारा पहले महीने में मात्र 40 युनिट, दूसरे माह में एकदम 309, तीसरे माह में 133 खपत दर्शाते हुए चौथे माह में फिर एकदम 867 युनिट अकल्पनीय खपत दर्ज कर अगले तीन माहों में क्रमशः असामान्य 202, 350 एवं 403 युनिट खपत दर्ज करते हुए दिसंबर में तो एकदम 2195 युनिट खपत दर्ज कर दी । ध्यानाकर्षण है कि प्रत्येक घरेलु संयोग की खपत का एक स्थिर पेटर्न होता है हर माह खपत में असामान्य उतार चढ़ाव नहीं होता है । जैसा त्रुटि पूर्ण मीटर ने दर्शाया है ।
6. उपभोक्ता चूंकि मल्टी से 25 किमी दूर रहता है बिल वितरक बिल मल्टी में रखकर जाता था । प्रारंभ के महीनों में बिल नहीं मिले । जब बिल प्राप्त किए गए तब तत्काल प्रभारी वितरण केन्द्र को शिकायत की गई । कई बार चक्कर लगाने पर प्रभारी वितरण

केन्द्र को शिकायत की गई । कई बार चक्कर लगाने पर प्रभारी वितरण केन्द्र ने लाईन मेन को जांच करने को कहा, लाईन मेन ने जांच कर प्रभारी को सूचना दी कि छठी मंजिल के इस फ्लेट में तो क्या मल्टी में कोई नहीं रहता है ।

7. उपभोक्ता ने मीटर की कार्यप्रणाली पर आपत्ति उठाकर परीक्षण शुल्क भरा तो उपभोक्ता की अनुपस्थिति में हुआ परीक्षण nul & void है ।
8. कैसे संभव है कि दुरस्थ छठी मंजिल के फ्लेट (2 छोटे बेड वाले) का मीटर 867, 400 एवं 350 यूनिट खपत दज करें । उपभोक्ता ने फोरम को प्रेषित आवेदन में प्रारंभ से अर्थात् माह मई 16 से माह दिसम्बर 16 तक मीटर द्वारा दर्ज हुई खपत पर आपत्ति उठाई थी । फोरम ने मात्र अन्तिम माह दिसम्बर 16 में दर्ज 2195 यूनिट खपत को ही मीटर की कार्यप्रणाली त्रुटिपूर्ण मानकर इसी मीटर की वादग्रस्त पिछले माहों में दर्ज खपत जो भी बेजा असामान्य है की औसत के आधार पर बिलिंग में संशोधन के निर्णय दिया । यह भी विचार नहीं किया कि खाली फ्लेट में 309, 867, 350, 403 एवं 2195 यूनिट खपत दर्ज हो सकती है कि नहीं ।
9. विद्युत लोकपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक एल00-32/14 में जारी आदेश दिनांक 12.01.2015 को निम्न अकाट्य अवतरण के साथ निर्णय पारित किया है ।
 - “4. मीटर एक तकनीकी उपकरण है और ऐसे तकनीकी उपकरण में किसी महिने या किसी विशेष दिन ऐसी अस्वाभाविक खपत दर्ज हो सकती है, जिसे तकनीकी परीक्षण मेन पकड़ा जा सके । मीटर परीक्षण रिपोर्ट से यही साबित होता है कि मीटर जला नहीं था ।”
10. 2195 यूनिट खपत दर्ज होने के बाद तत्काल आनन-फानन में मीटर जनवरी 17 में 58 रीडिंग पर नया मीटर लगाया है । आज 28 माह बाद भी मीटर की एक ही रीडिंग 58 रीडिंग दिखा रहा है । फोरम का यह भी देखना था कि यदि मीटर खराब है तो जब तक मीटर ठीक चला उसके आगे के 3 माह का औसत कर बिल जारी किया जावे । पर यहां तो कोई प्रमाण/आधार ही नहीं है कि मीटर ठीक चला हो । प्रारंभ से ही असामान्य खपत दर्ज कर रहा है । ऐसी स्थिति में विद्युत लोकपाल के द्वारा जारी आदेश दिनांक 12.01.15 के परिपेक्ष्य में नियम यह कहता है कि नया मीटर लगाया जावे एवं नए मीटर द्वारा तीन माह में दर्ज खपत की औसत पर बिल जारी किया जावे । उपभोक्ता के प्रकरण में नया मीटर लगातार 28 माह से शुन्य खपत दर्ज कर रहा है अतः नियमानुसार उपभोक्ता को टैरिफ मिनिमम का बिल जारी होना चाहिए अन्यथा उपभोक्ता के साथ न्याय नहीं होगा ।
11. फोरम का आदेश स्पिकिंग नहीं है कि फोरम में मात्र एक माह में दर्ज खपत 2195 को ही क्यों पुनर्निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं । फोरम का उपभोक्ता के द्वारा चाही गई रिलीफ को मान्य न करने के कारणों पर कोई स्पिकिंग रीजनस् नहीं दिए हैं बल्कि मौन है । फोरम को अपने आदेश में व्यक्त करना था कि पिछले माहों की खपत का पुर्ण: निर्धारण आवश्यक क्यों नहीं समझा जबकि प्रत्येक माह मीटर ने उठापटक खपत दर्ज की है जो प्रमाण है कि मीटर प्रारंभ से ही त्रुटिपूर्ण कार्य कर रहा था ।
12. अनुरोध है कि प्रारंभ (मई 16) से दिसंबर 16 तक दर्ज खपत का नए मीटर के अनुसार पुर्ण:निर्धारण किया जाना ही न्यायोचित होगा । साथ ही नियम विरुद्ध मनमानी औसत खपत जो लगभग प्रत्येक माह बिल में जोड़ी गई है समाप्त करवाने का कष्ट करें । त्रुटिपूर्ण बिलों पर लगाया गया सरचार्ज भी समाप्त होवे यह विनती है ।

आवेदक सलाहकार ने विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत अतिरिक्त जवाब पर मौखिक तर्क किया तथा कथन किया कि प्रश्नाधीन प्रकरण में हमारे द्वारा लिखित में जवाब प्रस्तुत कर दिया गया है एवं चूंकि उनको प्रकरण में ओर कुछ नहीं कहना या प्रस्तुत करना है, अतः उन्हें आगे सुनवाई से मुक्त रखा जावे तथा अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जानकारी/तर्क के आधार पर जो भी निर्णय लिया जावेगा वह उन्हें मान्य होगा ।

अनावेदक की अनुपस्थिति के कारण उनका पक्ष नहीं सुना जा सका और प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 20.08.2019 निर्धारित की गई ।

07. सुनवाई दिनांक 20.08.2019 को कोई उपस्थित नहीं हुआ तथा अगली सुनवाई दिनांक 17.09.2019 नियत की गई ।
08. दिनांक 17.09.2019 को अनावेदक की ओर से श्री आनंद अहिरवार, कार्यपालन यंत्री उपस्थित । श्री आनंद अहिरवार, कार्यपालन यंत्री द्वारा प्रश्नाधीन प्रकरण में अपना लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया, जो निम्नानुसार है :—

उपभोक्ता श्री राजपाल पितांबर, फ्लेट नम्बर 621, आनंद हैरिटेज, बिचौली मर्दाना, इन्दौर का संचा./संधा. संभाग के कनाडिया वितरण केन्द्र पर संयोजित है । शिकायतकर्ता द्वारा माननीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम इन्दौर के समक्ष असामान्य रीडिंग एवं खाली पड़े फ्लेट क्रमांक 621, के देयक के संबंध में शिकायत की गई । उसके पूर्व मीटर में खराबी की आशंका होने पर निर्धारित फीस 250 रु0 जमा किए गए । विद्युत वितरण कम्पनी में स्थापित मीटर परीक्षण शाला में मीटर का परीक्षण किए जाने पर मीटर सही अवस्था में पाया गया एवं जीरो प्रतिशत खराबी के परिणाम प्राप्त हुए । मीटर सही अवस्था में होने के कारण उपभोक्ता के अनुसार देयक में सुधार किया जाना संभव नहीं है ।

1. उपभोक्ता की शिकायत कि उसके परिसर में उपयोग न होने एवं फ्लेट खाली रहने पर भी खपत के देयक प्राप्त होने के संबंध में लेख है कि कम्पनी की HVCMS प्रणाली के प्रपत्र का अवलोकन करने पर पाया कि माह मई 2016 से दिसम्बर 2016 तक निरंतर विद्युत उपयोग होना पाया गया । छायाप्रति संलग्न है । माह जनवरी 2017 में उपभोक्ता का मीटर बदलकर कम्पनी की एल0टी0एम0टी0 लेब (मीटर परीक्षण शाला) में निरीक्षण करवाया गया । निरीक्षण करवाने पर मीटर की रिपोर्ट ३००के० प्राप्त हुई एवं जीरो प्रतिशत खराबी दर्ज हुई । तत्पश्चात उपभोक्ता के आवेदन के आधार पर फोरम द्वारा प्रकरण क्र0 401018 दर्ज किया गया । प्रकरण में माननीय फोरम के आदेशानुसार माह अप्रैल 2018 के देयक में 17229/- का क्रेडिट भी दिया जा चुका है । छायाप्रति संलग्न है ।
2. उपभोक्ता द्वारा मीटर परीक्षण शुल्क 250 रु0 मीटर परीक्षण की राशि होने के कारण वापसी योग्य नहीं है ।

3. सभी अपार्टमेंट एवं मल्टियों में तलमजिल में ही सभी फ्लैट के मीटर एक ही स्थान पर लगाए जाने के कारण मीटरों की रीडिंग उनके मीटर नंबर से मिलान कर मीटर रीडिंग डायरी में दर्ज की जाती है एवं मीटर रीडर द्वारा फ्लैट का भौतिक परीक्षण नहीं किया जाता है । मीटर की सुरक्षा एवं मीटर से अनाधिकृत उपयोग होने पर समस्त जवाबदारी उपभोक्ता की ही होती है ।
 4. आवेदक द्वारा दिनांक 20.08.2009 को जारी MPERC (Establishment of Forum and Electricity Ombudsman for redressal of grievances of the consumers) (Revision-1) Regulations 2009 की कंडिका क्रमांक 3.37 में उल्लेखित No representation to the Electricity Ombudsman shall lie unless the consumer has deposited, in the prescribed manner, at least, half of the amount that is required to be paid by him either in terms of an order of the Forum or in case of non-redressal of the grievance by the Forum the amount payable as per bills issued by the Licensee and has also agreed to pay a surcharge on the balance amount in the event of his representation not being successful. के अनुसार उपभोक्ता द्वारा 50 प्रतिशत राशि का भी भुगतान नहीं किया गया है । अतः प्रकरण निरस्त किए जाने योग्य है ।
 5. उपभोक्ता के द्वारा वितरण केन्द्र पर आवेदन किए जाने पर आर-1 रजिस्टर में क्रमांक 116 (NSCLT) पर दर्ज किया गया एवं आर-2 क्रमांक 24647 दिनांक 14.05.2018 के माध्यम से विद्युत संयोग की कार्यवाही इन्द्राज कर विद्युत संयोग जारी किया गया । जारी किए गए संयोग पर मीटर क्रमांक – 9399780, मेक-AVON, 5-30 एम्पीयर, एस.आर. (प्रारंभ रीडिंग) 002 स्थापित किया गया ।
 6. माननीय लोकपाल महोदय के आदेशानुसार उपभोक्ता के परिसर का पंचनामा क्र0 128 / 04 दिनांक 16.09.2019 बनाया गया । पंचनामा बनाए जाने के दौरान आवेदक के पड़ोसी प्रवीण विश्वकर्मा (फ्लैट क्र0 618) की रहवासी उमा मालवीया द्वारा बताया गया कि 2 वर्ष पूर्व हरदा ग्राम के निवासी फ्लैट क्रमांक 621 में किराए से रहते थे, उनके जाने के बाद से यह फ्लैट खाली पड़ा है । परिसर में उपभोक्ता के पड़ोसी प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित थे ।
 7. उपभोक्ता के संयोग पर अप्रैल 2018 में रु0 19533/- बकाया राशि थी, जो बढ़कर माह अगस्त 2019 तक रु0 26743/- हो गई है । उपभोक्ता द्वारा माह सितम्बर 2016 में मात्र रु0 5000/- एवं माह दिसम्बर 2016 में रु0 4500/- का आंशिक भुगतान किया गया । उपभोक्ता को जारी 01.05.2016 के बाद से प्रतिमाह खपत विवरण की तालिका HVCMS पोर्टल की पृष्ठी अवलोकनाथ संलग्न है ।
 8. माननीय फोरम के आदेशानुसार उपभोक्ता को अस्थाई रूप से रु0 17229/- की क्रेडिट की गई थी, एवं उपभोक्ता के फ्लैट क्रमांक -621 में किराएदार के निवासरत होने के कारण विद्युत का उपयोग किया जाने के कारण मीटर में दर्ज खपत को मीटर परीक्षण के उपरांत सही पाया गया था अतः उपभोक्ता के देयक में उक्त राशि जोड़े जाने का आदेश प्रदान करने का अनुरोध है ।
- प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 04.10.2019 नियत की गई, किन्तु दिनांक 04.10.2019 को उभयपक्षों की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ अतः सुनवाई आगे बढ़ाते हुए दिनांक 04.11.2019 नियत की गई ।
09. आयोजित सुनवाई दिनांक 04.11.2019 को आवेदक की ओर से श्री जे. जी. ठोबरे एवं श्री मुरलीधर गोयल सलाहकार उपस्थित तथा अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

आवेदक प्रतिनिधि द्वारा अनावेदक के दिनांक 17.09.2019 की सुनवाई में प्रस्तुत लिखित प्रत्युत्तर पर अपना लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें निम्नलिखित कथन किया गया:—

1. उपभोक्ता मीटर की टेस्टिंग सहायक यंत्री विद्युत वितरण कंपनी कनाडिया द्वारा परिसर का लाईन कर्मी से सत्यापन के बाद उपभोक्ता के कथन से संतुष्ट होने के बाद, बिलिंग सुधार के पूर्व स्वयं होकर करवाई थी। उपभोक्ता द्वारा मीटर परीक्षण हेतु कोई आवेदन नहींदिया। उपभोक्ता ने तो मात्र यह कहा था कि उसका मीटर बंद में भी रीडिंग दिखा रहा है। सहायक यंत्री ने मीटर परीक्षण का मांग पत्र दिया उपभोक्ता को समझाया कि यह प्रक्रिया है उपभोक्ता द्वारा राशि जमा कर दी गई।
2. फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक W0401018 में निर्णय दिनांक 07.03.2018 माह दिसंबर 2016 में दर्ज खपत 2195 को तो अत्यधिक एवं अवास्तविक मानते हुए निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। (विद्युत लोकपाल के द्वारा प्रकरण क्रमांक एल00/05/18 आदेश दिनांक 12.01.2015 की प्रति संलग्न) ऐसी दशा में मीटर जिसके द्वारा अवास्तविक खपत 2195 दर्ज की है एवं फोरम द्वारा इस खपत को अमान्य किया है अतः जमा करवाया गया, परीक्षण शुल्क MPERC Notification 7 Sept. 2009, Annexure 1, Schedule of Metering & Other Charges art. III (Testing charges at consumer's request) के अनुसार जो कि निम्नानुसार अवतरित है।

"If consumer contest the accuracy of the equipment and if the claim is found to be correct, the above amount shall be refunded."

उपभोक्ता को वापस लौटाया जाना है। आदेश अपेक्षित है।

3. कार्यपालन यंत्री ने विगत पेशी में प्रस्तुत पत्र में लेख किया है कि माह अप्रैल 2018 में ₹0 17229 की क्रेडिट दिया जा चुका है। गणना प्रपत्र नहीं दिया गया है। उपभोक्ता को अवास्तविक खपत 2195 की बिलिंग माह दिसंबर 2016 में की गई थी यह राशि लगातार 16 माह अर्थात् मई 2017 तक बिल में बकाया चलती रही। इस पर लगभग ₹0 4000/-सरचार्ज राशि की भी क्रेडिट मिलना थी नहीं की गई।
4. उपभोक्ता द्वारा फ्लेट क्रय कर मई 2016 में नवीन विद्युत संयोग लिया गया था। पूजा इत्यादि करने के बाद फ्लेट आज तक खाली रहा है। उपभोक्ता लगातार जून 2016 अर्थात् नवीन संयोग मिलने के अगली माह अर्थात् जून 2016 से ही अत्यधिक खपत की शिकायत करता रहा है। तत्कालीन प्रभारी वितरण केन्द्र/सहायक यंत्री कनाडिया द्वारा फ्लेट का निरीक्षण करवाया जाकर पुष्टि करवाई गई कि फ्लेट प्रारंभ से खाली पड़ा है। तब जाकर बिलिंग में सुधार के पूर्व मीटर परीक्षण चार्जस जमा करने के बाद मीटर का परीक्षण दिनांक 26.07.2017 को करवाया।
5. कार्यपालन यंत्री को वस्तुस्थिति की सही जानकारी नहीं है। न ही उनके द्वारा उपभोक्ता का फोरम में प्रेषित आवेदन एवं दस्तावेजों का अध्ययन किया गया है। वास्तव में प्रथम सुनवाई दिनांक 22.02.2018 को ही फोरम ने तात्कालीन सहायक यंत्री को निर्देशित किया था कि वे स्थल का भौतिक सत्यापन कर वास्तविक स्थिति से फोरम को अवगत करावे। तात्कालिन सहायक यंत्री द्वारा स्थल का भौतिक निरीक्षण करने के बाद फोरम के सम्मुख यह स्वीकार किया गया था कि फ्लेट प्रारंभ से बंद है। इसका उल्लेख फोरम द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.03.2018 में भी है। अतः निर्विवाद सत्य है कि फ्लेट प्रारंभ से खाली है।
6. कार्यपालन यंत्री (संचा./संचा.) इन्दौर द्वारा दिनांक जवाब में बिन्दु क्र0 6 के अंतर्गत लेख किया है कि 3 साल बाद दिनांक 16.09.2019 को परिसर का पंचनामा क्र0 128/04 बनाया

गया है । पंचनामा बनाए जाने के दौरान आवेदक के पडोसी श्री प्रवीण विश्वकर्मा (फ्लेट क्रमांक 618) की रहवासी उमा मालविया द्वारा बताया गया है कि दो वर्ष पूर्व हरदा ग्राम के निवासी फ्लेट क्रमांक 621 में किराए से रहते थे । उनके जाने के बाद से यह फ्लेट खाली पड़ा है । यह औचित्यहीन है । पुनः अवगत होवे कि रीडिंग प्रपत्र के अनुसार दो साल पहले की खपत (जनवरी 2017 से अगस्त 2019 तक तो HVVMS/MRDM/CONSUMER BILLING REPORT के अनुसार लगातार शुन्य खपत दर्ज हुई है । क्या किराएदार अंधेरे में रहा ?

7. पंचनामे का अवलोकन करे । पंचनामे में मीटर को डिफेक्टिव बताया जाकर डिस्प्ले आफ लिखा गया है पर कार्यपालन यंत्री द्वारा सौंपे गए HVVMS/MRDM/CONSUMER BILLING REPORT (जनवरी 2017 से अगस्त 2019 तक के रीडिंग पत्रक के अनुसार वर्तमान एवं पूर्व रीडिंग 58 दर्शाई जा रही है । कार्यपालन यंत्री का यह लेख कि किराएदार रहता था सही नहीं है ।
8. महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान में लाना आवश्यक है कि जून 16 में 309, जुलाई 16 में 133 (एकदम कम) अगस्त 16 में 867 (एकदम शूट) सितंबर 16 में 202 (कम) अक्टोबर में 305, नवंबर 16 में 403 एवं दिसंबर 2016 में एकदम 2195 खपत दर्ज हुई है । उपरोक्त लेख को विद्युत लोकपाल के द्वारा प्रकरण क्रमांक एल00/05/2018 आदेश दिनांक 12.01.2015 के परिपेक्ष्य में लिया जावे । घरेलू संयोग में खपत की इस प्रकार घटबढ़ बिलकुल भी संभव नहीं है । यह घटबढ़ दर्शाती है कि मीटर माल फंक्शन करता रहा । जब इस मीटर को जनवरी 17 में बदला तो खपत शुल्य हो गई क्या यह संभव है कि एकदम मीटर बदलने के बाद किराएदार को भगा दिया या फिर किराएदार को अंधेरे में रखा गया ।
9. उपरोक्तानुसार कथन हास्यास्पद है । लगातार 8 बार फोरम में पेशी एवं 17 बार विद्युत लोकपाल में पेशी के दौरान कभी भी जांच करवाने का हवाला देकर दावे के साथ यह नहीं कहा गया है कि परिसर में किराएदार था । अब दिसंबर 2016 के प्रकरण में सितंबर 2019 अर्थात् 3 साल बाद जांच एवं पूछताछ के हवाले से उपरोक्ता लेख किया जा रहा है । यह साफ साफ विद्युत लोकपाल को गुमराह करने का प्रयास है । इस प्रकार के कथन की कानूनी तौर पर कोई मान्यता नहीं रह जाती है समझ से परे है कि यह बिलिंग प्रकरण जून 2016 से वादग्रस्त है । विभाग का दायित्व था कि अब तक वास्तविकता के आधार स्थल पर विद्युत के उपयोग को प्रमाणित करने पर सत्य परे होने के कारण प्रकार को जान बूझकर लंबित रखा । हमारा कथन है कि डिफेक्टिव मीटर की खपत को निरस्त किया जाए । अन्यथा उपभोक्ता के साथ अन्याय होगा ।

उपभोक्ता द्वारा वांछित है कि :-

1. फोरम को बिलिंग विवरण (मई 2016 से नवंबर 2017) सौंपा जाकर अनुरोध किया गया था कि जून 2016 से दिसंबर 2016 तक की खपत को निरस्त कर न्यूनतम बिल जारी करवाने का कष्ट करें ।
2. परन्तु फोरम द्वारा यह तो स्वीकार किया कि मीटर ने अवास्तविक खपत दर्ज की है पर मात्र माह दिसंबर 2016 में दर्ज खपत 2195 को ही निरस्त किया है ।
3. वाद यह है कि जब दिसंबर 16 की खपत को अमान्य किया तो खाली फ्लेट के चलते (जिसकी पुष्टि हो चुकी है एवं इसके बाद ही मीटर परीक्षण करवाया गया था ।
4. फोरम में प्रेषित आवेदन में माह जून 2016 से दिसंबर 2016 तक की खपत को निरस्त कर टेरिफ न्यूनतम बिलिंग की जावे यह प्रार्थना की गई थी ।
5. फोरम ने भी बिना कोई कारण बताए कि जून 2016 से नवंबर 2016 के बीच के माहों की खपत निरस्त क्या नहीं कि फोरम उपभोक्ता कि इस मांग पर पूर्ण मौन रहा ।

फोरम को चाहिए था कि संलग्न किए गए प्रकरण क्रमांक एल00/05/18 आदेश दिनांक 12.01.2015 के परिपेक्ष्य में निर्णय अपेक्षित है ।

उपभोक्ता का विद्युत लोकपाल महोदय से अनुरोध है कि मीटर जिसकी कार्यप्रणाली संदिग्ध प्रमाणित है (प्रकरण क्रमांक एल00/05/18 आदेश दिनांक 12.01.2015 के परिपेक्ष्य में) चूंकि फ्लेट में लगातार ताला लगा रहा मीटर की कार्यप्रणाली को त्रुटिपूर्ण मानते हुए त्रुटिपूर्ण मीटर द्वारा दर्ज खपत माह जून 2016 से दिसंबर 2016 तक निरस्त कर उपभोक्ता के साथ न्याय करवाने का कष्ट करें ।

अतः अनुरोध है कि –

1. पूर्व में दी गई क्रेडिट रु0 172279 में सरचार्ज शामिल नहीं किया है शामिल कर सरचार्ज राशि जो करीबन रु. 21229/- बनती है क्रेडिट दिए जाने का कष्ट करें ।
2. जून 2016/- से दिसंबर 2016 तक की डिफेक्टिव मीटर द्वारा दर्ज खपत को निरस्त कर टैरिफ मिनिमम का बिल जारी करवाने का कष्ट करें ।
3. इस विवादित अवधि में उपभोक्ता द्वारा जमा की गई राशि रु0 9500/- का समायोजन कर अब तक लगा सरचार्ज भी निरस्त करवाने का कष्ट करें ।
4. मीटर परीक्षण चार्जस वापस करवाए जावे यह विनती है ।

प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 25.11.2019, 17.12.2019 एवं 07.01.2020 को आयोजित की गई, जिसमें उभयपक्ष अनुपस्थित रहे । उभयपक्षों के लगातार अनुपस्थित रहने के कारण उभयपक्षों द्वारा अभी तक किए गए कथन और दस्तावेजी साक्ष्यों को अन्तिम मानते हुए प्रकरण में सुनवाई समाप्त कर प्रकरण को आदेश हेतु सुरक्षित किया गया ।

10. आदेश की विवेचना :

आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपीलीय अभ्यावेदन, उभयपक्षों द्वारा किए गए कथन एवं प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :–

- 01) प्रस्तुत अपील अनुसार आवेदक के घरेलु संयोग पर केवल मई 2016 से दिसम्बर 2016 के मध्य स्थापित मीटर की कार्यप्रणाली को लेकर ही विवाद है ।
- 02) आवेदक के कथनानुसार :–
 - i) उनके द्वारा क्रय फ्लेट क्रय दिनांक से ही बिना किसी उपयोग के आज तक खाली है । जबकि उनके विद्युत संयोग पर स्थापित मीटर में मई 16 से दिसम्बर 16 की अवधि में त्रुटिपूर्ण रूप से असामान्य खपत दर्ज की है, जिसको अमान्य कर टैरिफ मिनिमम के लिए बिलों को संशोधित किए जाने की मांग की गई है । आवेदक का कथन है कि अनावेदक के प्रभारी अधिकारी को इस संबंध में लिखित एवं मौखिक शिकायत करने तथा अनावेदक के प्रभारी अधिकारी द्वारा उनके फ्लेट का भौतिक निरीक्षण कर फ्लेट को खाली पाये जाने पर भी जारी त्रुटिपूर्ण बिलों को सही नहीं किया ।
 - ii) उक्त संबंध में विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर फोरम में शिकायत प्रस्तुत करने के बाद फोरम द्वारा भी उनका पक्ष नहीं मानते हुए विवादित 7 माहों में

से केवल अन्तिम माह दिसम्बर 16 का ही बिल संशोधित किए जाने हेतु अपना आदेश दिनांक 07.03.2018 में निर्णय दिया है जो कि नान – स्पीकिंग होकर एकतरफा बिना जस्टिफिकेशन के दिया गया है तथा बिना नियमों की व्याख्या के होकर पारदर्शी नहीं है ।

- iii) मीटर की त्रुटीपूर्ण कार्य प्रणाली के संबंध में आवेदक का कथन है कि फ्लेट क्रय दिनांक से वर्तमान समय तक खाली रहने के बाद भी संयोग जारी होने पर मीटर द्वारा पहले महीने में मात्र 40 यूनिट खपत दर्ज की एवं दूसरे माह में एकदम 309, तीसरे माह में 133 खपत दर्शाते हुए चौथे माह में फिर एकदम 867 यूनिट अकल्पनीय खपत दर्ज कर अगले 3 माह में क्रमशः असामान्य 202, 350 एवं 403 यूनिट खपत दर्ज करते हुए दिसम्बर में तो एकदम 2195 यूनिट खपत दर्ज कर दी । आवेदक के अनुसार प्रत्येक घरेलू संयोग की खपत का निश्चित पैटर्न होता है । हर माह खपत में असामान्य उतार–चढ़ाव नहीं होता है जैसा त्रुटीपूर्ण मीटर में दर्शाया है ।
- iv) नया मीटर जनवरी 2017 में स्थापित करने के बाद से आज तक इस मीटर द्वारा शून्य खपत दर्शाई गई है जो इस बात का प्रमाण है कि फ्लेट में विद्युत का उपयोग ही नहीं है ।

आवेदक का तर्क है कि उक्त आधारों पर यह सिद्ध होता है कि मई 2016 से दिसम्बर 2016 की अवधि में स्थापित मीटर त्रुटीपूर्ण था, अतः इस अवधि में जारी बिलों को (प्रारंभ से) टैरिफ मिनिमम के लिए पुनरीक्षित किया जाना न्यायोचित होगा ।

- 02) प्रकरण में अनावेदक का तर्क है कि प्रश्नाधीन अवधि मई 2016 से दिसम्बर 2016 के मध्य स्थापित रहे मीटर को जनवरी 2017 में बदलकर जुलाई 2017 में प्रयोगशाला में जांच करने पर इस मीटर की कार्य–प्रणाली सही पाई गई है तथा दिनांक 16.09.2019 को लिए भौतिक निरीक्षण के दौरान पड़ोसी द्वारा आवेदक के फ्लेट में 2 वर्ष पूर्व तक किराएदार के निवासरत होकर उपयोग किए जाने की सूचना, जिसका उल्लेख भौतिक निरीक्षण के दौरान बनायेगये पंचनामे में किया गया है, के आधार पर की गई बिलिंग को सही ठहराया है ।
- 03) उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं किए गए कथनों के आधार पर तथा स्थापित नियमों के अंतर्गत प्रकरण की विवेचना की गई । प्रकरण की विवेचना में सर्वप्रथम विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर एवं उज्जैन क्षेत्र द्वारा आवेदक की शिकायत पर दर्ज प्रकरण क्रमांक W0401018 में दिनांक 07.03.2018 को पारित आदेश का अवलोकन किया गया । अवलोकन से ज्ञात होता है कि फोरम ने अपने आदेश में आवेदक के मीटर को प्रयोगशाला में जांच के दौरान सही पाए जाने के आधार पर आवेदक के बाद का आंशिक निराकरण करते हुए केवल दिसम्बर 2016 के बिल का विगत 3 माह की औसत खपत के आधार पर पुनरीक्षित किए जाने तथा फरवरी' 2017 में नया मीटर स्थापित करने के बाद की अवधि में जारी बिलों में आंकलित खपत हटाते हुए वास्तविक खपत के आधार पर बिलिंग पुरनीक्षित किये जाने का निर्णय लिया है । फोरम ने आवेदक के इस पक्ष का कि फ्लेट क्रय दिनांक से ही बिना किसी उपयोग के खाली हैं कोई संज्ञान अपने आदेश में नहीं लिया है ना ही दिसम्बर 2016 माह के बिलों के पुनरीक्षण तथा दिसम्बर 2016 और दिसम्बर 2016 माह के ही बिल के पुनरीक्षण के संबंध में कोई तर्क सम्मत आधार का आदेश में उल्लेख किया है ।

11. प्रकरण की विवेचना से निम्न तथ्य प्राप्त होते हैं :-

- (1) आवेदक के फ्लेट का अनावेदक द्वारा एकाधिक बार भौतिक सत्यापन करवाने पर हर बार यह बिना किसी उपयोग के खाली पाया गया, जिससे आवेदक के इस कथन की पुष्टि होना पाया जाता है कि आवेदक का परिसर प्रारंभ से ही खाली है ।
- (2) मीटर द्वारा खाली फ्लेट के लिए विद्युत खपत दर्शाना तभी संभव है जब मीटर से किसी अन्य व्यक्ति रहवासी व्यक्ति द्वारा अनाधिकृत रूप से बिजली ली गई हो, किन्तु अनावेदक द्वारा आवेदक की शिकायत पर करवाए गए प्रथम निरीक्षण से यह संभावना निर्मूल साबित होती है, क्योंकि निरीक्षण में आवेदक का फ्लेट ही नहीं बल्कि पूरी मल्टी कॉलोनी खाली पाई गई थी अर्थात् वहाँ कोई अन्य रहवासी निवास नहीं कर रहा था जिसके द्वारा आवेदक के मीटर से बिजली लिये जाने की आशंका हो । खाली फ्लेट के मीटर में खपत दर्ज होने का दूसरा कारण फ्लेट का आवेदक के मेहमान/परिवित द्वारा अस्थाई उपयोग किया जाना भी हो सकता है, किन्तु ऐसा मान भी लिया जाए तो यह उपयोग अपेक्षाकृत अल्पावधि के लिए ही होता है और इस अल्पावधि में और वह भी प्रतिमाह इतना अधिक विद्युत खपत जैसा कि मीटर में दर्शाया है, संभव नहीं है । इन दो कारणों की अनुपस्थिति से आवेदक के इस कथन को बल प्राप्त होता है कि स्थापित मीटर द्वारा असामान्य एवं त्रुटिपूर्ण तरीके से खपत दर्ज की गई है ।
- (3) आवेदक का यह तर्क कि प्रत्येक घरेलु कनेक्शन की विद्युत खपत का एक निश्चित पैटर्न होता है स्वीकार योग्य है । जबकि आवेदक के परिसर में स्थापित मीटर द्वारा दर्ज खपत असामान्य होकर उसका कोई निश्चित पैटर्न नहीं है । आवेदक के मीटर द्वारा दर्ज खपत के अवलोकन से आवेदक के इस कथन की पुष्टि होना पाया जाता है ।
- (4) अनावेदक द्वारा दिनांक 16.09.2019 को किया निरीक्षण तथा बनाये गये पंचनामा के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवेदक के पड़ोसी द्वारा 2 वर्ष पूर्व अर्थात् लगभग 2017 के मध्य किसी किराएदार के निवासरत होने की सूचना दी गई । किन्तु निरीक्षण के दौरान अनावेदक ने किराएदार के निवासरत रहने की कुल अवधि तथा पड़ोसी के मल्टी में निवासरत रहने की अवधि का कोई उल्लेख पंचनामे में नहीं किया है । इसके साथ ही तथाकथित पड़ोसी के बयान को तत्समय स्थापित मीटर द्वारा दर्ज खपत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाय तो बयान की सत्यता संदेह की परिधि में आती है क्योंकि सूचित अवधि में मीटर द्वारा शुन्य खपत दर्ज की गई है जो किरायेदार के निवासरत रहने पर कदापि संभव नहीं थी और अनावेदक द्वारा करवाए गए भौतिक निरीक्षण में भी प्रश्नाधीन अवधि में पूरी मल्टी खाली होकर कोई निवासरत नहीं होना पाया गया था ।
इसके साथ ही प्रकरण से संबंधित फोरम की मूल नस्ती के अवलोकन से ज्ञात होता है कि दिनांक 08.02.2018 की सुनवाई में फोरम ने अनावेदक को मौका मुआयना पंचनामा, आसपास के लोगों के बयान एवं मीटर रीडर का स्टेटमेंट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया था, किन्तु अनावेदक द्वारा इस निर्देश पर तत्समय कोई कार्यवाही नहीं की गई, क्योंकि शायद इस कार्यवाही के परिणाम अनावेदक के पक्ष में नहीं होते । उपरोक्त आधारों पर दिनांक 16.09.2019 के निरीक्षण के दौरान पड़ोसी द्वारा दिया गया कथित बयान स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है ।
- (5) अनावेदक द्वारा जुलाई 2017 में आवेदक के परिसर से जनवरी 2017 में निकाले गए पुराने मीटर का परीक्षण अपनी प्रयोगशाला में करवाया गया, जिससे ..मीटर सही पाया गया, किन्तु परीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन से ज्ञात होता है कि रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि मीटर का आंतरिक ढांचा (Internal body) ढीला (loose) था । मीटर

की ऐसी भौतिक स्थिति में मीटर की कार्यप्रणाली संदेह से परे नहीं आंकी जा सकती है।

- (6) उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त होता है कि नवीन घरेलु विद्युत संयोग प्राप्त करने के समय अर्थात् मई 2016 से ही आवेदक का फ्लेट बिना किसी उपयोग के रिक्त रहा है और इस खाली फ्लेट के लिए स्थापित मीटर, जिसकी कार्य प्रणाली भी संदेह के घेरे में थी द्वारा मई 2016 से दिसम्बर 2016 की अवधि में असामान्य खपत दर्ज की गई जो स्वीकार योग्य नहीं मानी जा सकती है। इस निष्कर्ष के आधार पर यह न्यायोचित होगा कि आवेदक के विद्युत संयोग की मई 2016 से दिसम्बर 2016 तक की अवधि के जारी बिलों को तत्समय लागू टैरिफ मिनिमम के अनुसार पुनरीक्षित किया जाए।
12. आवेदक की अपील स्वीकार कर निर्णय दिया जाता है कि आवेदक के फ्लेट के घरेलू विद्युत संयोग पर स्थापित मीटर द्वारा मई 2016 से दिसम्बर 2016 की अवधि में त्रुटिपूर्ण तरीके से दर्ज खपत के आधार पर जारी बिलों को तत्समय लागू टैरिफ मिनिमम पर पुनरीक्षित किया जावे तथा आवेदक द्वारा अधिक भुगतान की गई राशि मय सरचार्ज के आवेदक के तत्काल अगली बिलों में समायोजित की जावे।
13. उक्त निर्णय के साथ प्रकरण निराकृत होकर समाप्त होता है। उभय पक्ष प्रकरण में हुआ अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे। आदेश की एक प्रति उभयपक्षों को निःशुल्क प्रदान की जावे। आदेश की प्रति के साथ फोरम की मूल नस्ती वापिस हो।

विद्युत लोकपाल